



जिला परियोजना
लाईवलीहुड कॉलेज बीजापुर



Phone 07853-220167, Fax No. 07853-220330, E-Mail: dplcbijapur2017@gmail.com

क्रमांक / 1488 / जि.परि.ला.कॉ.बी. / 2013-19

बीजापुर, दिनांक 26/06/2018

--:रुचि की अभिव्यक्ति :-

—00—

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनातर्गत जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी बीजापुर, जिला बीजापुर में रिटेल ऑपरेशन कोर्स के प्रशिक्षण कराया जाना है, जिसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। दिनांक 06/07/2018, समय सायं 5.00 बजे तक कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग.) के कार्यालय में DETAILED PROJECT DESCRIPTION एवं Financial Proposals सीलबंद जमा की जा सकती है, एवं दिनांक 06/07/2018 सायं 5:00 बजे समिति के समक्ष प्राप्त प्रस्ताव को खोला जावेगा। विस्तृत (सामग्रीयों की सूची) जानकारी/नियम एवं शर्तें कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग.) के नोटिस बोर्ड एवं जिले के वेब साईट www.bijapur.gov पर उपलब्ध है, से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।


संचालक

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
जिला - बीजापुर (छ.ग.)



जिला परियोजना
लाईवलीहुड कॉलेज बीजापुर

Phone 07853-220167, Fax No. 07853-220330, E-Mail: dplcbijapur2017@gmail.com



मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बीजापुर में रिटेल ऑपरेशन कोर्स के संचालन हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. प्रशिक्षण संस्था को प्रशिक्षण MMKVY योजना अन्तर्गत निर्धारित गाईडलाईन्स के अनुरूप प्रशिक्षण कराना होगा।
2. प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों का मोबलाईजेशन स्वयं संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण पूर्व TBN एवं ABN स्वयं संस्था द्वारा किया जावेगा एवं प्रशिक्षण उपरांत CSSDA सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।
4. संस्था का VTP पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
5. संस्था द्वारा MES कोर्स आधारित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।
6. संस्था को प्रस्ताव दो पृथक लिफाफों में जमा करना होगा, प्रथम लिफाफा में संस्था को DETAILED PROJECT DESCRIPTION एवं संस्था द्वारा विभिन्न दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। द्वितीय लिफाफा में FINANCIAL PROPOSAL संस्था द्वारा सीलबंद जमा की जावेगी।
7. समिति द्वारा चयनित संस्था को प्रशिक्षण गुणवत्ता पूर्वक प्रदाय किया जाना होगा। अगर संस्था द्वारा प्रशिक्षण गुणवत्ता पूर्वक नहीं पाये जाने पर संस्था का कार्यदेश किसी भी समय निरस्त कर भुगतान की गई राशि की Recovery किया जावेगा। इसका जवाबदारी स्वयं संस्था की होगी।
8. प्रस्ताव ऐसे एजेंसी या फर्म जिन्हे इस कार्य का पूर्ण अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जावेगी। जिला कौशल विकास प्राधिकरण बीजापुर न्यूनतम निविदा स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त अथवा अमान्य करने का अधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण बीजापुर को होगा एवं ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

संचालक

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
जिला - बीजापुर (छ.ग.)